कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना माकड़ी
जिला–कोण्डागांव छ.ग.

//ज्ञापन//

क्रमांक/ 179 /मबावि/स्था./आ0बा0स0नि0/2026–27 माकड़ी, दिनांक–23.10.2026

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छ0ग0 इन्द्रवती भवन ब्लॉक 01 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/IT/830/2025-WCD HOD IT SECTION IT/ नवा रायपुर दिनांक 05/01/2026 के द्वारा आं0बा0 कार्यकर्ता/सहायिकाओं के रिक्त पदों में ई–भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन नियुक्ति किये जाने के प्राप्त निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना माकड़ी अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। उक्त पदों की भर्ती हेतु इच्छुक पात्र महिलाएँ उसी ग्राम अन्तर्गत आंगनबाड़ी के लिए **ई–भर्ती पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से दिनांक 29/10/2026 से 10/11/2026 तक** ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन की समस्त प्रक्रिया ई–भर्ती पोर्टल के **user manual** में दर्शित है, जिसका उपयोग करके आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद व परियोजना कार्यालय या डॉक से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रं.	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	रिक्त पद का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	माकड़ी	मगेदा	मगेदा	मगेदा 01	कार्यकर्ता	
2	हीरापुर	हीरावण्डी	हीरावण्डी	हीरावण्डी बीचपारा	सहायिका	

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष से अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता /सहायिका /सह–सहायिका /संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी)। आयु की गणना विज्ञापन की तिथि से की जावेगी ।
2. आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए) आवेदन पत्र के साथ निवास के संबधं में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगाः–
3. क. उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे।

अथवा

ख. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता स्पष्ट उल्लेख हो।

अथवा

ग. तहसीलदार द्वारा जारी संबंधित ग्राम का निवास प्रमाण पत्र।

टीपः– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती हे तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

4. आवेदन भरते समय आवेदिकाऐं सभी दस्तावेज संलग्न करेंगें। दावा आपत्ति समयावधि में किसी भी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नही किये जायेंगे।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
माकड़ी जिला-कोण्डागांव

5. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	12 वीं बोर्ड उत्तीर्ण
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

टीपः– ग्रेड प्रणाली की अंकसूची का मूल्यांकन संभव नहीं है, अतः शिक्षण प्राप्त संस्थान से ग्रेड प्रणाली की अंकसूची को समकक्ष प्रतिशत् में परिवर्तित कर सत्यापित अंकसूची प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदन अमान्य किया जावेगा।

6. अनुभवी कार्यकर्ता /सहायिका /सह सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार अनुसूचित जाति /जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
8. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन में विधवा,परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक निर्धारित किये गये हैं। इस हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित आवेदिका को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरणः– (क) परित्यक्ता के संबंध में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगाः–

(1) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे प्रस्तुत किया जावे ।

अथवा

(2) न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश ।

(ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता /पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(घ) परित्यक्ता महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा।

9. अनुभव हेतु परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
10. सक्षम अधिकारी द्वारा **S. E .C.C.** सूची 2011 के आधार पर जारी किये गये गरीबी रेखा प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे ।

टीपः– गरीबी रेखा परिवार से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत माकड़ी) के हस्ताक्षर होने पर ही अंक दिये जावेगें।

11. आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेज अभ्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित करना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदनों को मान्य नहीं किया जावेगा।
12. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जावेगा।
13. उपरोक्त नियुक्तियां छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश कमांक/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 के अधीन है। तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।
14. दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक सूची ऑनलाईन ई–भर्ती पोर्टल में अपलोड की जावेगी अभ्यर्थी प्राविधिक सूची में अपना प्राप्त अंक का अवलोकन करें व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावा आपत्ति प्रस्तुत करें, इस अवधि में किसी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
15. पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन भरा जावे।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
माकड़ी, जिला–कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक / 179 / मबावि / स्था. / आ0बा0स0नि0 / 2026–27 माकड़ी, दिनांक– 23.10.2026

प्रतिलिपिः–

1.जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोण्डागांव को सादर सूचनार्थ।
2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत माकड़ी जिला कोण्डागांव को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3.माननीय सभापति / सदस्य महिला एवं बाल एवं स्वास्थ्य समिति जनपद पंचायत माकड़ी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
4.सरपंच ग्राम पंचायत को सादर सूचनार्थ।
5.संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास परियोजना माकड़ी की ओर सूचनार्थ ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
माकड़ी, जिला– कोण्डागांव (छ.ग.)

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
माकड़ी, जिला–कोण्डागांव